संख्या 733/नौ–2–04(15पे0)/2001

प्रेषक,

पी0के0महान्ति,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम
देहरादून।

पेयजल अनुभाग देहरादूनः दिनांक 24 मार्च,2004

विषय– केन्द्र पुरोनिधानित कार्यक्रम में सम्मिलित त्वरित नागर पेयजल योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 1057/धनावंटन प्रस्ताव/दिनांक 20.03.2004 एंव भारत सरकार शहरी विकास एंव गरीबी उपशमन मंत्रालय के स्वीकृति आदेश संख्या जेड–1403/2/2003,पीएचई,दिनांक 10 मार्च,2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रपुरोनिधानित कार्यक्रम के अन्तर्गत त्वरित नागर पेयजल योजनाओं के लिए भारत सरकार से 50 प्रतिशत केन्द्रांश के रूप में रू0 213.45 लाख (रू0 दो करोड़ तेरह लाख पैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि प्राप्त हुई है। चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 में आवैंटित परिव्यय/प्राविधान के दृष्टिगत श्री राज्यपाल संलग्न विवरणानुसार 120.00 लाख (रू0 एक करोड़ बीस लाख मात्र) केन्द्रांश के रूप में तथा रू0 80.00 लाख (रू0 अस्सी लाख मात्र) राज्यांश के रूप में अर्थात कुल रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक,उत्तरांचल पेयजल निगम,देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी,देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी तथा आहरण से सम्बन्धित बाउचर संख्या एंव दिनांक की सूचना शासन एंव महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करा दी जायेगी।

3– स्वीकृत धनराशि जिन निमार्ण कार्यो पर व्यय की जायेगी उन कार्यो की लागत के सापेक्ष उ0प्र0 शासन के वित्त लेखा (अनुभाग–2) के शासनादेश संख्या–ए–2–87(1) दस–97–14 (4)/75,दिनांक 27.02.1997 के अनुसार 12.5 प्रतिशत की धनराशि ही सेन्टेज चार्जेज के रूप में अनुमन्य होगी। धनराशि व्यय करने से पूर्व प्रबन्ध निदेशक यह भी सुनिश्चित कर ले कि अमुक कार्यो पर पूर्व में व्यय की गयी धनराशि को समायोजित करते हुये सेन्टेज चार्जेज किसी भी दशा में 12.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। कृपया इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कर कर लें।

5– उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन/व्यय संलग्न विवरण में उल्लिखित योजनाओं पर ही किया जायेगा तथा योजनावार धनराशि आवंटन की सूचना शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करा दी जायेगी इसके अतिरिक्त कार्यों की मासिक/त्रैमासिक वित्तीय भौतिक प्रगति यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय। स्वीकृत धनरशि ऐसी योजनाओं पर कदापि व्यय न की जाय जिसके सम्बंध में तकनीकी स्वीकृति नहीं है अथवा जो विवादग्रस्त है।

क्रमशः..2...

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर निगम के पी0एल0ए0खाते में रखा जायेगा,ओर उक्त खाता खुले न होने पर ही धनराशि बैंक खाते में रखी जायेगी और यदि उक्त योजनाओं में पूर्व में स्वीकृत धनराशि अवशेष है तो उसके 80 प्रतिशत उपयोग के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण किया जायेगा। बैंक में रखी धनराशि पर अर्जित समस्त ब्याज वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशानिर्देशो के अनुसार राजकोष में जमा कर शासन को इसकी सूचना दी जायेगी। बैंक से समय–समय पर आहरित की जाने वाली धनराशि की योजनवार सूचना शासन को भी दे दी जायेगी।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि से कृत कार्यो की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को एंव उपयोगिता प्रमाण शासन एंव भारत सरकार को प्रेषित कर दिया जायेगा।

8– व्यय करने से पूर्व बजट मेनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशो के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यता हो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निमार्ण कार्यो में व्यय करने से पूर्व आगण्नों पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगण्नों पर सक्षम अधिकारी की प्राविधीक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

9. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 में अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक–2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यकम–01–केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाऐं–06–छोटे/मध्यम नगरों की जलापूर्ति(50प्रतिशत के0सं0)–20– सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे ड़ाला जायेगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या 3361/वित्त अनु0–3/2004, दिनांक 24,मार्च, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक– यथोक्त

भवदीय

(पी0के0महान्ति)
सचिव

संख्या 733 (1)/नौ–2–04(15पे0)/2001, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– मण्डलायुक्त,गढ़वाल/कुमॉयू/पौड़ी/नैनीताल।
3– सम्बन्धित जिलाधिकारी
4– जिलाधिकारी,देहरादून।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– मुख्य महाप्रबन्धक,उत्तरांचल जल संस्थान,देहरादून।
7– महाप्रबन्धक,उत्तरांचल जल संस्थान,नैनीताल।
8– मुख्य अभियन्ता(गढ़वाल/कुमॉयू),उत्तरांचल पेयजल निगम,पौड़ी/नैनीताल।
9– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री/पेयजल मंत्री।
10– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ/वित्त बजट सैल।
11– निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, ई0सी0 रोड़, देहरादून।
12– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या 733/नौ–2–04(15पे0)/2001 दिनांक26मार्च,2004 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं	जनपद	योजना का नाम	लागत	स्वीकृत केन्द्रांश	स्वीकृत राज्यांश	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	पौड़ी	श्रीनगर पे0यो0पुनर्गठन	604.35	30.105	8.495	38.60
2	बागेश्वर	बागेश्वर पुनर्गठन पे0यो0	311.00	20.00	50.215	70.215
3	पौड़ी	दुगड्डा पुनर्गठन पे0यो	113.05	14.26	–	14.26
4	हरिद्वार	लक्सर पे0यो जोन–II	141.78	13.97	–	13.97
5	अल्मोड़ा	द्वाराहाट पुनर्गठन	576.26	20.375	–	20.375
6	उधमसिह नगर	केलाखेडा पे0यो0	42.58	21.29	21.29	42.58
		योग:–		120.00	80.00	200.00

(रू0 दो करोड़ मात्र)

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव